सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	***Published by Authority***
	भाद्र 19, गुरूवार, शाके 1942–सितम्बर 10, 2020 *Bhadra 19, Thursday, Saka 1942–September 10, 2020*	

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग

आदेश

जयपुर, अगस्त 25, 2020

संख्या प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/16/43737 :-राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा-105, 325 तथा 337 द्वारा प्रदत्त् शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा नगर निगम/परिषद /पालिकाओं की उपविधियों में लाईसेंस फीस सम्बन्धी विभागीय आदेश क्रमांक प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/16/1680 दिनांक 31.01.17 में निर्धारित वार्षिक लाईसेंस फीस संबंधी प्रावधान में राज्य सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 337 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नानुसार संशोधन करती है:-

“उक्त विभागीय आदेश दिनांक 31.01.17 के नोट में नवीन संख्या 8 के नीचे नोट संख्या 9 को निम्नानुसार जोडा जाता है:-

<u>नोट संख्या 9:-</u> **किसी आवेदक द्वारा होटल/रेस्टारेन्ट आदि का नवीनीकरण हेतु आवेदन** online **किया जावेगा तो आवेदनकर्ता के पूर्व में संग्रहित डाटा के आधार पर निर्धारित फीस** online **जमा होने के पश्चात् स्वत: ही नवीनीकृत लाईसेन्स जारी हो जावेगा।**”

संख्या प. 10 (न.पा.) (सीमावृद्वि) () डीएलबी/20/1371:- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त् शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एत्तद्वारा तत्काल प्रभाव से नगर पालिका खरेली की वर्तमान सीमा क्षेत्र में निर्देशानुसार निम्नांकित ग्रांम पंचायत , ग्रांम की सीमा को सम्मिलित करती है :-

क्र.सं.	जिला	नगर पालिका का	नगर पालिका की सीमा में शामिल ग्राम पंचायत एवं राजस्व

		नाम	ग्राम का विवरण
01..	अलवर	खेरली	ग्राम पंचायत सौंखर का राजस्व सीमा क्षेत्र ग्रांम पंचायत खेरली रेल का राजस्व सीमा क्षेत्र ग्राम प्रीतमपुरा

राज्यपाल की आज्ञा से,

दीपक नन्दी,

निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।